# न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।

**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–506 / 2026**
**त्रिवेणीगंज थाना काण्ड संख्या–350 / 2024**

**1. मनोज पौद्दार, उम्र करीब–41 वर्ष, पिता–स्व0 सुरेन्द्र पौद्दार,**
**2. मानती देवी, उम्र करीब–65 वर्ष, पति–स्व0 सुरेन्द्र पौद्दार,**
**3. जानकी देवी, उम्र करीब–40 वर्ष, पति–आनंद पौद्दार,**
**सभी साकिनान–गोरधैय, वार्ड नं0–04, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल.....आवेदकगण।**

**बनाम्**

**बिहार राज्य.....विपक्षी।**

---

**12.05.2026**

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्तगण यथा मनोज पौद्दार, मानती देवी एवं जानकी देवी की ओर से दाखिल किया गया है, जो कि त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0–350 / 2024 अन्तर्गत धारा–80(2), 238(बी), 3(5) बी0एन0एस0 के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है।

2. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद एवं आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामनाथ मंडल को सुना।

3. आवेदक अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल की गई थी, जिसे सुनवाई के पश्चात् खारिज कर दिया गया था, इसलिए आवेदक अभियुक्तगण ने एक नए आधार पर यह अग्रिम जमानत आवेदन दालिख किये हैं। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इन्हें इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण को आरोपी के प्रति द्वेष रखने वाले व्यक्तियों द्वारा फैलाई गई झूठी, दुर्भावनापूर्ण और शरारती जानकारी के आधार पर इस मामले में गलत तरीके के फंसाया गया है। प्रस्तुत वाद में गांव में स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ता के पक्ष के कुछ व्यक्तियों की एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं हैं। यह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण जानकारी पर आधारित नहीं है। तथ्य यह है कि आधी रात को सूचक की बेटी को पेट में दर्द हुआ। पति और अन्य लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। अतः यह मृत्यु स्वाभाविक थी। ग्रामीणों के बयानों और सूचक द्वारा मामले की झूठी प्रकृति को स्वीकार करने से कोई मामला शेष नहीं रहता। यह स्पष्ट रूप से निराधार है। प्रस्तुत वाद में परिवार में शिकायतकर्ता की बेटी को परिवार का पूरा स्नेह और अच्छा व्यवहार प्राप्त था। उसका पति उसे दिल से प्यार करता था। इसका प्रमाण यह है कि सूचक की बेटी की मृत्यु के बाद उसका पति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे होश में लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। इसमें बहुत समय लग गया। इसके लिए तोला परिवार और रिश्तेदारों ने शव के तत्काल दाह संस्कार के लिए दबाव डाला, क्योंकि अन्यथा पति का मानसिक व्यवहार बिगड़ता रहता। इसलिए शव का दाह संस्कार कर दिया गया। अतः इसमें छल या तथ्य छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। सूचक ने निस्वार्थ भाव से बैठक में और माननीय न्यायालय के समक्ष भी स्वीकार किया कि वह इस

मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि यह मामला दुर्भावनापूर्ण और झूठी सूचनाओं पर आधारित है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे लिखना–पढ़ना नहीं आता था, वह इस तरह या उस तरह हस्ताक्षर करता था। इसी आधार पर इस मामले के एकमात्र आरोपी गोपाल पौद्दार, जो मृतिका का पति है, को माननीय जिला न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल के द्वारा सत्र वाद संख्या–388 / 2025 दिनांक–04.02.2026 के माध्यम से बरी कर दिया गया है। आवेदक अभियुक्तगण धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 में दिये गये सभी प्रावधानों का पालन करने को तैयार है। आवेदक अभियुक्तगण श्रीमान् के आदेशानुसार बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

4. आवेदक अभियुक्तगण, सूचक पप्पु पौद्दार के लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0–350 / 2024 अन्तर्गत धारा–80(2), 238(बी), 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत नामित अभियुक्तगण हैं। सूचक की पुत्री रंजन कुमारी की शादी हिन्दु रीति–रिवाज से दिनांक–17.04.2024 को गोपाल पौद्दार के साथ संपन्न हुई। शादी के उपरांत सारो–समान के साथ विदाई किये। इनकी पुत्री गोपाल पौद्दार के साथ दाम्पत्यजीवन व्यतीत करने करने लगे। करीब दो माह बीतने के बाद इनकी पुत्री की सास मान्ती ने लोभ–लालचवश एक डिस्कवर मोटरसाईकिल एवं नकद दो लाख रूपया अपने पिता से मांग कर लाने कहने लगी। जब इनकी पुत्री बोली कि इनके माता–पिता गरीब है, कहां से लाकर देंगे। मना करने पर इनकी पुत्री के साथ गोपाल पौद्दार, सुबोध पौद्दार, मनोज पौद्दार, मान्ती देवी, आनन्द पौद्दार, राम रतन पौद्दार, आनन्द कुमार की पत्नी सभी गाली–गलौज मारपीट किये। यहां तक कि खाना–पीना पर भी पाबंद कर दिया करते थे। जिसकी जानकारी इन्हें इनकी पुत्री रक्षाबंधन में आयी तो दिनांक–19.08.2024 को बताकर दी थी। सभी धमकी भी दिया करते थे कि जान से मार देंगे। इनका दावा है कि उक्त सभी ने मिलकर इनकी पुत्री रंजन कुमारी की हत्या दिनांक–04.09.2024 को 3 बजे कर दिये तथा साक्ष्य–सबूत मिटाने के कारण लाश जला भी दिये। पश्चात् इन्हें दिनांक–05.09.2024 को सुबह 06:30 बजे मोबाईल नं0–9905320079 से फोन कर जानकारी दिया गया कि आपके समधिन का तबियत काफी खराब है, जल्दी आइए। सूचक जब गोरधैय पहुंचकर पता किये किये तो जानकारी मिली कि इनकी पुत्री का हत्या कर उक्त सभी लाश भी जला दिये हैं। उक्त सभी काफी मनबदह इनकी पुत्री को जान से मार कर लाश भी जला चुके हैं। इन्हें कोई जानकारी नहीं होने दिये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 रजी अहमद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और खारिज करने की मांग करते हैं तथा यह भी कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध दहेज हत्या का है, जो गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

6. उभय पक्ष को सुना तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्तगण पर सूचक की पुत्री से लोभ–लालचवश एक डिस्कवर मोटरसाईकिल एवं नकद दो लाख रूपया अपने पिता से मांग कर लाने को कहा, मना करने पर इनकी पुत्री के साथ सभी उक्त नामित लोगों ने गाली–गलौज, मारपीट करने तथा इनकी पुत्री रंजन कुमारी की हत्या कर साक्ष्य–सबूत मिटाने के कारण लाश जला देने का आरोप है। मूल वाद के निर्णय की प्रति गवाही सहित जमानतकर्ता की ओर से दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुख्य अभियुक्त (पति गोपाल पौद्दार) को दोषमुक्त किया गया है। गवाही के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सूचक पप्पु पौद्दार ने गवाही में स्वयं बताया है कि मेरी बेटी की तबियत हमेशा खराब रहा करता था और वह बीमारी से मरी है। मेरी बेटी ससुराल मे खुशी–खुशी रहती थी। बेटी की मृत्यु की सूचना उसके ससुराल वाले ने मेरी पत्नी को फोन से दिया था। अन्य गवाहों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि मृतिका की मृत्यु बीमारी से हुई है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधान प्रायः पूर्ण है। इस प्रकार, आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये दहेज हत्या का आरोप बनता प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण यथा मनोज पौद्दार, मानती देवी एवं जानकी देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक अभियुक्तगण की गिरफ्तारी या आत्म–समर्पण की स्थिति में इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0–10,000 / –रुपये के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंध–पत्र प्रस्तुत करने पर बी0एन0एस0एस0 की धारा–482(2) के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि, आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय में प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेंगे और प्रस्तुत मामले के अनुसंधान एवं विचारण में सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं करने पर विचारण न्यायालय आवेदक अभियुक्तगण का बंध–पत्र खंडित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

लेखापित

Sd/-
**(तेज प्रताप सिंह)**
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।